दिनांक : 20.07.2026

निगराकारान/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री उदयलाल जाट उपस्थित । गैरनिगराकार सं. 1/परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी एवं गैरनिगराकार सं. 2 राज्य की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित । निगरानी याचिका पर उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निगराकारान/अभियुक्तगण राजू व सांवरिया लाल द्वारा यह निगरानी याचिका विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, भीलवाड़ा द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 3228/2025 (मूल आपराधिक प्रकरण संख्या 385/2025, सरकार बनाम सांवरलाल व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई, जिसके जरिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवादी सतीश द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा राशि 02 लाख रूपये को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503/497 बी.एन.एस.एस. स्वीकार कर जब्तशुदा राशि परिवादी को सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश दिया गया ।

निगराकारान/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रकरण में अनुसंधान के दौरान निगराकारान/अभियुक्तगण से 01–01 लाख रूपये कुल 02 लाख रूपये की राशि जब्त की गई थी, जो निगराकारान/अभियुक्तगण की स्वअर्जित राशि है। निगराकारान/अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई, न ही परिवादी की कोई राशि हड़पी गई । परिवादी द्वारा झूंठा मुकदमा दर्ज कराया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराकारान/अभियुक्तगण से जब्तशुदा 02 लाख रूपये की राशि को आलौच्य आदेश के जरिए परिवादी को सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश पारित किया है, जो उचित नहीं है । जब्तशुदा राशि निगराकारान/अभियुक्तगण की स्वअर्जित होकर वही उसे प्राप्त करने के अधिकारी है । अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को

अपास्त कर जब्तशुदा राशि निगराकारान/अभियुक्तगण को सुपुर्द की जाए।

इसके विपरीत गैरनिगराकार सं. 1/परिवादी सतीश की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है। अतः निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाए ।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 02.01.2025 को गैरनिगराकार सं.1/परिवादी सतीश नगवाडिया द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, भीलवाड़ा पर अभियुक्त छोटूलाल व अन्य के विरूद्ध उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए निरस्त पट्टे के भूखण्ड को बेचकर उससे 25,21,000/– रूपये की राशि प्राप्त करने आदि के तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेष्ण शुरू किया गया एवं अन्वेष्ण के दौरान अभियुक्तगण राजू व सांवरिया लाल द्वारा धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई सूचनाओं के अनुसरण में उनसे एक–एक लाख रूपये कुल दो लाख रूपये की राशि जब्त की गई । पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात् निगराकारान/अभियुक्तगण व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी.एन.एस. के तहत अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2025 को प्रस्तुत किया गया तथा वर्तमान में पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर नियत है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा राशि 02 लाख रूपये को परिवादी द्वारा आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक कराने पर परिवादी को सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश पारित किया है, जो मूल प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय पारित किए जाने वाले निर्णय/आदेश के अध्यधीन

रहेगी। परिवादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा निरस्त पट्टे के भूखण्ड को बेचकर उससे राशि प्राप्त कर धोखाधड़ी करने का तथ्य अंकित किया है । अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण राजू व सांवरियालाल द्वारा दी गई धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम की सूचनाओं में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी से धोखाधड़ी पूर्वक राशि प्राप्त कर आपस में बांट लेना एवं खर्च करने के उपरांत एक–एक लाख रूपये शेष बची होकर अपने मकान में रखी होने का तथ्य बताया है एवं इन्हीं सूचनाओं के आधार पर अभियुक्तगण राजू व सांवरिया लाल के मकान से एक–एक लाख रूपये की राशि जब्त की गई है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर लंबित होकर विचारण में समय लगने की संभावना है। अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्तगण को भी अपनी समुचित प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने का विधिक अवसर उपलब्ध रहेगा तथा प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय जब्तशुदा राशि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया जाएगा । इस स्तर पर जब्तशुदा राशि गैरनिगराकार सं. 1/परिवादी को ही सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश में कोई अवैधता, अशुद्धता, अनौचित्यपूर्णता होना नहीं पाया जाता है। अतः निगराकारान/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः निगराकारान/अभियुक्तगण राजू व सांवरिया लाल द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 26.11.2025 की पुष्टि की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय परिवादी को सुपुर्दगी पर दी गई राशि के संबंध में उचित आदेश पारित करे। इस आदेशिका की एक प्रति सहित अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावली अविलंब लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(अभय जैन)